

U; k; ky; fMohtuy dfe'uj] tkki g
i hBkl hu vf/kdkjh & ch0 , y0 dkBkj] vkbZ, -, l -

jktLo vihy l [; k% 13@2007

vihykV

cuke

jLiKMBV

1. नवला उर्फ नवीया पुत्र लुम्बाजी के कायम मुकाम:—
 01. कान्तीलाल पुत्र
 02. काली पुत्री
 03. हरि पुत्री
 04. हंसा पुत्री
2. भीकला पुत्र लुम्बाजी के कायम मुकाम:—
 01. रमेश पुत्र
 02. मोहनलाल पुत्र
 03. दिनेश पुत्र
3. गणेशा पुत्र लुम्बाजी सभी निवासी गण- केर, तहसील रानीवाडा

1. नोनजी पुत्र के कायम मुकाम:—
 1. जगाराम पुत्र नोनजी के का0मु0:—
 1. श्रीमती रंगू पत्नी
 2. मनोहर पुत्र
 3. नटवर पुत्र निवासी केर, तहसील रानीवाडा
 4. लक्ष्मी पुत्री निवासी चारा, तहसील रानीवाडा
 5. जतना पुत्री निवासी चांडपुरा, तहसील रानीवाडा
 6. कोकीला पुत्री निवासी वाडा, तहसील रानीवाडा
 7. शांती पुत्री निवासी वाडा तहसील रानीवाडा
 8. कमला पुत्री निवासी कागमाला तहसील रानीवाडा
 9. काली पुत्री निवासी चेखला, तहसील रानीवाडा
 10. मीना पुत्री वडवज, तहसील रेवदर जालोर।
 2. किशनाराम पुत्र नोनजी
 3. अमराराम पुत्र
 4. कांतीलाल पुत्र नोनजी के का0मु0:—
 1. नरेश पुत्र
 2. नर्मदा पुत्री
 3. आशा पुत्री
 4. जयेश पुत्र
 5. कमला पुत्री
 6. नीता पुत्री
 7. मथरा पत्नी निवासी केर, तहसील रानीवाडा
 5. दाना पुत्र चेला के का0मु0:—
 1. दला पुत्र

2. मफा पुत्र
3. महुआ पुत्र
4. नावी पुत्री
5. अम्बा पुत्री
6. शारदा पुत्री निवासी केर,
तहसील रानीवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार रानीवाडा

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2007 जो अपील संख्या 31/2006 अनवान नवीया वगैराह बनाम नोनजी वगैराह में द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति:---

1. सुगनमल परिहार अधिवक्ता, अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 6 की ओर से उपस्थित।
3. शेष रेस्पोजेन्टस बावजूद सूचना व तामीली के अनुपस्थित।

fu.kz

fnukd 27 uo{cj} 2019

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 31/2006 अनवान नवीया वगैराह बनाम नोनजी वगैराह में पारित आदेश दिनांक 16.10.07 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोजेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम केर के खसरा नंबर 5, 14, 46, 77 व 166 रकबा 56 बीघा 13 भूमि अपीलान्टस नवला उर्फ नवीया, भीकला व गणेशा पिसरान लुम्बाजी व रेस्पोजेन्टस नोनजी पुत्र चेला के नाम से संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जो प्रथम सेटलमेन्ट में शामिलत दर्ज हुआ था। उक्त भूमि में से ख0सं0 46 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा, ख0सं0

166 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा कुल 39 बीघा 15 बिस्वा में स्थित अपीलान्टस के 1/2 हिस्सा खातेदारी पर सम्वत 2013 से लगातार कब्जा काश्त काश्त का नोट लगा कर बिना किसी आदेश के धारा 19 राज0 काश्तकारी अधिनियम का हवाला कर पटवारी हल्का ने नौनजी पुत्र चेला जो सहखातेदार था, के नाम पूरी जमीन करते हुए नामा0 संख्या 18 दर्ज कर दिया तथा दिनांक तहसीलदार के द्वारा दिनांक 4.5.1961 को स्वीकृत कर दिया। जिसके विरुद्ध अपीलान्टस के द्वारा प्रथम राजस्व अपील श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर जालेर ने अहपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2007 के द्वारा अपीलान्टस की प्रथम अपील को म्याद बिन्द के आधार पर अपील विलम्ब से पेश करना मानते हुए खारिज कर दी। श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

4. अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील मनमाने ढंग से एवं मियाद बाहर मानकर खारिज करने में भारी भूल की है। जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील में मियाद के बिन्दु को निर्णित करने से पूर्व मामले के गुणावगुण पर भी विचार करना चाहिये था। परन्तु उनके द्वारा केवल मियाद के तकनीकी बिन्दु को आधार मानकर अपील को खारिज कर दिया जो स्वीकार करने योग्य थी।
5. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कानूनी रूप से यह स्थिति स्पष्ट है कि जो नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा धारा 19 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तो वह नामान्तरकरण अनाधिकारपूर्ण स्वीकृत होने से शून्य था। ऐसे शून्य नामान्तरकरण आदेशो को चुनौती प्रस्तुत करने में मियाद का बिन्दु बाधक नहीं बन सकता था। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे हम पक्षकारान के साथ न्याय करने के लिहाज से अपील का निर्णय गुणावगुण पर ही करते ताकि अनावश्यक मुकदमें बाजी से बचा जा सके।
6. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पोजेन्ट कभी भी विवादग्रस्त भूमि के कभी सिकमी काश्तकार नहीं रहे और उन्हें कभी अपना सिकमी काश्तकार स्वीकार किया। न ही राजस्व रेकर्ड में ऐसे कोई इन्द्राज है। नामान्तरकरण जैर अपील में लिख देने मात्र से उन्हे सिकमी काश्तकार नहीं माना जा सकता है। इतना ही नहीं

- सिकमी काश्तकार स्वीकार करने सम्बन्धी न तो दस्तावेज पेश किये गये और न ही कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध था। नामान्तरकरण की कार्यवाही में धारा 19 के तहत किसी को सिकमी काश्तकार मानते हुए खातेदार दर्ज नहीं किया जा सकता था। धारा 19 के तहत घोषणा करने का अधिकार केवल मात्र न्यायालय सहायक कलेक्टर को है।
7. वर्तमान मामले में किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश रेस्पोजेन्ट को सिकमी काश्तकार घोषित करने सम्बन्धी नहीं था तो उन परिस्थितियों में नामान्तरकरण जैर अपील का भी कोई आधार नहीं था। मियाद जैसे तकनीकी बिन्दुओं की आड में इस तरह के गलत आदेश को फलने फुलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अपीलान्टस की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बिन्दु पर विचार करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल की कई नजीरे पेश की गई परन्तु उन नजीरो पर कोई विचार प्रथम अपील न्यायालय द्वारा नहीं किया गया ।
8. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर आज दिन भी सहकाश्तकार की हैसियत से काबिज है एवं निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं। इस कारण उन्हें रेस्पोजेन्ट से कब्जे की प्राप्ति हेतु कोई वाद पेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह मामला केवल इसी संदर्भ में था की रेस्पोजेन्ट के नाम धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आड में जो राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किये गये वे सही है अथवा गलत है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलार्थी को दावा पेश करने का निर्देश दे दिया जो कतई गलत है।
9. अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी की अपील को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र मियाद के तकनीकी बिन्दू पर निर्णित किया गया है जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता है अतः श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2007 एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 18 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किये जावें।
10. रेस्पोजेन्टस एवं उनके अधिवक्ता बाजवूद सूचना के अनुपस्थित हैं।
11. हमने अधिनस्थ न्यायालय एवं अपीलाधीन नामा0 का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित की गई बहस पर मनन किया जिससे यह पाया

जाता है कि विद्वान जिला कलेक्टर जालोर ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन नामा० संख्या 18 के सम्बन्ध में अपीलान्टस की ओर से उनके समक्ष उल्लेखित किये गये तथ्यों का भली भांति परीक्षण नहीं किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में राज० भू राजस्व (लैण्ड रिकार्ड रूल्स) 1957 के नियम 121 (4) लागू होता है जो इस प्रकार से है:—

“राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार या सहायक कलेक्टर या ऐसी ग्राम पंचायते जिन्हें राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, जैसे भी अवस्था हो, को मूल प्रति और पडत की प्रविष्टियों का मिलान ध्यानपूर्वक करना चाहिये और पडत पर अपना आदेश अंकित करना चाहिए। उसे यह देखना चाहिये कि नामान्तरकरण की फर्द की प्रविष्टि और उसके सम्बन्ध में उसकी आज्ञाये स्पष्टतया पढी जाने योग्य है। आदेशमें, हित रहने वाले, पक्षकार के बारे में यह सूचना कि वे सब उपस्थितथे या कोई अनुपस्थित था, विधि जिससे उसकी शहादत ली गई, अथवा नहीं ली गई, उसे उपस्थिति होने के कितने अवसर दिये गये, उपस्थित पक्षकारों की पहचान किसने की, स्थान जहाँ पर और तिथी जब वह अंकित की गई—आदि समस्त तथ्य अंकित करने चाहिये। जमीन की हस्तान्तरण के नामान्तरकरणके मामलों में पक्षकार की जाति और उपजाति आदेश में दर्ज की जानी चाहिये। पक्षकारों और गवाहों के बयानों का विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु आदेश में संक्षिप्त रूपेण, व्यक्ति जिनकी शहादत राजस्व अधिकारी द्वारा ली गई, वे तथ्य जो उन्होंने गवाही में प्रकट किये और आदेश के आधार पर अंकित होने चाहिये। उस अवस्था के जबकि नामान्तरकरण खारिजके आदेश पूरे खाते से सम्बन्धित हो और अविवाद पूर्ण उत्तराधिकार के मामलों के अलावा राजस्व अधिकारी को प्रभावित खेतों की संख्या और उनका कुल क्षेत्रफल अपनी लेखनी में अवश्य अंकित करना चाहिये।”

12. अपीलार्थीगण का उक्त खसरान भूमि में उनके हक—हिस्से वाली भूमि का रेस्पोडेन्टस के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने के साथ—साथ राज० भू राजस्व (लैण्ड रिकार्ड रूल्स) 1957 के नियम 121 की पालना भी पूर्ण की जानी आवश्यक थी, तत्पश्चात ही यथोचित एवं नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करते। इस प्रकार अपीलाधीन

राजस्व अपील संख्या 13/2008 नवीया वगैराह बनाम नौनजी वगैराह

नामा0 अपने आप में शून्य आदेश की परिधि में आता है जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई एवं उचित निर्णय करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2007 एवं नामा0 संख्या 18 दिनांक 4.5.1961 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के सभी प्रभावित पक्षकारान को पक्ष प्रस्तुत करने तथा पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

1/20 , y0 dkBkj½
fMohtuy dfe'kuj]
t kki j